उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2

संख्या- 10 /2021/ 15प्र0स0/92-2-21-02टी.ए.सी./2018

लखनऊ:: दिनांक:: फरवरी, 2021

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2014-15 में चयनित डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम गहबरा विकास खण्ड आसपुर देवसरा में सी०सी० रोड एवं के०सी० डेन के निर्माण कार्यों में प्लास्टर निर्धारित मानक/मोटाई के अनरूप न होने, नाली की तली/ब्रिक चिनाई के ऊपर में पी०सी०सी० शक्ति में कमजोर होने, सीमेंट कंक्रीट/लीन कंक्रीट की मोटाई कम पाये जाने आदि अनियमितताओं के फलस्वरूप टी०ए०सी० की जांच आख्या में परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू०-1,22,418.00 के लिये प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/2019/ 107/92-2-2019-2टी0ए0सी0/2018 दिनांक 10 जनवरी, 2019 द्वारा श्री अनिल कुमार सक्सेना, तत्कालीन अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड प्रतापगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया ।

अपचारी अधिकारी श्री अनिल कुमार सक्सेना की दिनांक 31-01-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या- 43/2020/529/92-2-2020-02टीएसी/2018 दिनांक 14-02-2020 द्वारा उनके विरूद्व प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351ए के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ के पत्र संख्या-2757/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/सहा0अभि0/2019-20 दि0 09-09-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 01 आरोप स्थापित पाया गया । जांच आख्या में स्थापित आरोप के क्रम में शासन के पत्र संख्या-2167/92-2-2019-02टीएसी/2018 दिनांक 16-10-2019 द्वारा अपचारी अधिकारी को अभिकथन/अभ्यावेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया । जिसके क्रम में अपचारी अधिकारी द्वारा दिनांक रहित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।

3- उल्लेखनीय है कि श्री अनिल कुमार सक्सेना अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-07-2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक- जी-815/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/ अनु0कार्य/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पत्रा0सं0893/2020-21 दिनांक 12-01-2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0-1,22,418.00 के सापेक्ष अपचारी अधिकारी श्री अनिल कुमार सक्सेना पर अधिरोपित शासकीय क्षति रू0-45,905.00 का समायोजन किया जा चुका है ।

4- अतः अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्व स्थापित आरोप हेतु प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर नहीं रह गया है तथा अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित शासकीय क्षति रू0 45,905.00 को समायोजित कर लिया गया है । अतएव श्री अनिल कुमार सक्सेना, तत्कालीन अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड प्रतापगढ़ सम्प्रति सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत्त) के विरूद्व कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/2019/ 107/92-2-2019-2टी0ए0सी0/2018 दिनांक 10 जनवरी, 2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त् किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

श्री राज्यपाल के आदेश से

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 10 /2021/ 15प्र0स0(1) /92-2-21 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- श्री अनिल कुमार सक्सेना, तत्कालीन अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड प्रतापगढ़ सम्प्रति सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत्त) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।